न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 07/2012
दायरा तिथि 24.01.2012
निर्णय तिथि 24.01.2017

वादी

गुणेशराम पुत्र चिमनाजी
जाति माली
निवासी सुमेरपुर
तह. सुमेरपुर जिला पाली

बनाम :

प्रतिवादी

राजस्थान सरकार जरि
तहसीलदार (भूमिधारी) ,
सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RTAct,1955

उपस्थित :–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र गहलोत उपस्थित।
2. प्रतिवादी की ओर से सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार सुमेरपुर उपस्थित।

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 24.01.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि वादी ने वादपत्र में निवेदन किया है कि सरहद मौजा जाखोडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त आराजी गत खसरा नं. 75/7 रकबा 4 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नं. 1006/1 रकबा 0.42 हेक्टर व खसरा नं. 163 रकबा 0.52 हेक्टर किस्म जवाई नहरी वादी के नियमन सुदा कब्जे–काश्त की भूमि स्थित है । यह भूमि जिलाधीश महोदय पाली द्वारा मिसल संख्या 542/75 के जरिये वादी के नाम नियमन की गयी थी। जिसका इन्द्राज गिरदावरी संवत् 2037 से 2040 में किया हुआ है। वादग्रस्त नियमन सुदा भूमि का आरक्षित मूल्य भी वादी द्वारा राज्य सरकार को अदा कर दिया गया है तथा इस भूमि की सिचांई भी जवाई नहर से होती है जिसका सिचाई कर भी वादी द्वारा अदा किया गया है।

वादग्रस्त भूमि पर वादी का नियमन से पूर्व व आज तक कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है, लेकिन राजस्व व सेटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों ने इस भूमि को वादी के नाम आज तक खातेदारी मे दर्ज नही की गई है। वादी खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है। भूमि सिवायचक दर्ज होने से वादी के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही करके जुर्माना आरोपित करने व बेदखल करने पर तहसीलदार (प्रतिवादी) आमादा रहते है। अतः वाद वादी स्वीकार कर व डिक्री फरमाकर वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित कराने एवं वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादी किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे , इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का निवेदन करने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया।

(2) कि प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया। जिससे राजस्व न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर तनकियात कायम करने हेतु आवश्यकता नही रही। वादी पक्ष की ओर से शहादत स्वरूप गवाह वादी गणेशराम स्वयं व पडौसी खातेदार गवाह खेताराम व डुंगाराम के बयान कलमबद्ध करवाये गये। प्रतिवादी की तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। बाद बहस वादी का वाद तत्कालिन उपखण्ड अधिकारी , सुमेरपुर द्वारा खारिज कर देने से व्यथित होकर वादी ने अपील राजस्व अपील अधिकारी, पाली के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने उभय पक्षकारान की बहस सुनकर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2006 को अपास्त किया गया व इस न्यायालय को निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया गया कि "तहसीलदार सुमेरपुर से वाद का जवाब दावा प्राप्त किया जावे, तत्पश्चात् तनकियात कायम किये जाकर उभय पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में नये सिरे से विधिनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किया जावें।"

उपखण्ड अधिकारी
जिला-पाली (राज.)

लगातार पेज– 2

Scanned by CamScanner

(3) कि राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 03.11.2011 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में पुनः रिमांड प्रकरण को राजस्व वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सुमेरपुर की ओर से सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार सुमेरपुर का जवाब प्राप्त कर रेकर्ड पर लिया गया। वादी की ओर से शहादत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तत्पश्चात् वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व वाद सं. 02/2006 में वादी पी.डब्ल्यू–1 गुणेशराम के बयान दिनांक 12.04.2009 व पी.डब्ल्यू–2 खेताराम, पी.डब्ल्यू–3 डुंगाराम के बयान दिनांक 23.08.2009 जो पूर्व मे न्यायालय के समक्ष कलमबद्व किये गये जो प्रदर्श लगवाया जाकर पत्रावली मे रेकर्ड पर लिया जाने की इस्तदुआ की, इस पर प्रार्थना पत्र की प्रति सरकारी पैरोकार को दी गई। प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षकारान की बहस सुनी जाकर न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी की ओर से पूर्व मे प्रस्तुत गवाहान पी.डब्ल्यू–1 गुणेशराम, पी.डब्ल्यू–2 खेताराम व पी.डब्ल्यू–3 डुंगाराम को क्रमशः प्रदर्श 12,13,14 लगाया जाकर वादी की ओर से शहादत स्वरूप पुनः पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान वकील वादी द्वारा लिखित मे भी बहस प्रस्तुत की जिसे पत्रावली पर लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया।

(4) कि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेज साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत संवत 2037–2040, खसरा –परिवर्तनशील संवत 2050–51 आरक्षित मूल्य जमा रसीदे इत्यादि दस्तावेज साक्ष्य को तहसीलदार (भूमिधारी) प्रतिवादी अथवा सरकारी पैरोकार द्वारा अन्य साक्ष्य के जरिये विखण्डित नही किया है। वादी ने अपने वाद पत्र मे मुख्य साक्ष्य रूप से अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि जिलाधीश महोदय, पाली द्वारा मिसल संख्या 542/75 के जरिये वादी के नाम नियमन की गयी थी तथा उसी आदेश की पालना मे गिरदावरी संवत 2037 से 2040 मे प्रतिवादी के आदेश की पालना मे गिरदावरी मे लाल स्याही मे नियमन का नोट प्रदर्श–1 की लिखावट A से B में "जिलाधीश मि. न. 542/75 के गुणेश पुत्र चिमना कौम माली सा. सुमेरपुर के नाम नियमन किया गया 4 बिघा" इन्द्राज किया गया। वाद के कथनो व गिरदावरी मे नियमन होने संबंधी प्रविष्ठी का प्रतिवादी द्वारा कोई खण्डन नही किया है। साथ ही जिलाधीश महोदय के उक्त वर्णित आदेश को आदिनांक तक निरस्त नही किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड व दस्तावेजों का अवलोकन व परीक्षण किया, जिससे यह साबित होता है कि वादी जिलाधीश महोदय, पाली द्वारा मिसल संख्या 542/75 के जरिये ग्राम जाखोडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि गत खसरा नं. 75/7 रकबा 4 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नं. 1006/1 रकबा 0.42 हेक्टर व खसरा नं. 163 रकबा 0.52 हेक्टर किस्म जवाई नहरी भूमि का नियमन भूमि का नये सेटलमेंट रेकर्ड में इन्द्राज नही कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया। वक्त नियमन के बाद से वादी का लगातार कब्जा होना प्रमाणित है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण करने के पश्चात् हमारे विधिक मतानुसार वादग्रस्त आराजी बाबत वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार एवं डिक्री किए जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है। वादी को विवादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जाखोडा के खसरा नं. 163 रकबा 0.52 हैक्टर किस्म जवाई नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर , पटवारी हल्का कोलीवाडा माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे । साथ ही वादी को बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जावे। वादीगण की उपरोक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17–01–2017 को खुले न्यायालय सुमेरपुर में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली (राज)

Scanned by CamScanner